भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3552

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

सरकारी बैंकों का बकाया ऋण

3552. श्रीमती लॉकेट चटर्जीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का वर्तमान में कितना ऋण बकाया है;

(ख) प्रत्येक बैंक में जानबूझकर चूक करने वालों का कितना ऋण बकाया है; और

(ग) वर्तमान में 500 करोड़ से अधिक का ऋण किन व्यक्तियों के नाम पर बकाया है और इस ऋण की उगाही के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का सकल ऋण तथा अग्रिम 63,82,461 करोड़ रुपए था।

(ख): पीएसबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं का सकल अग्रिम 1,49,684 करोड़ रुपए था। बैंक-वार विवरण अनुबंध में है।

(ग): आरबीआई ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. के उपबंधों के अंतर्गत, आरबीआई द्वारा ऋण सूचना को सार्वजनिक किए जाने पर प्रतिबं है। धारा 45ड. यह व्यवस्था करती है कि किसी बैंक द्वारा प्रदान की गई ऋण सूचना को गोपनीय माना जाएगा और उसे न तो प्रकाशित अथवा न ही सार्वजनिक किया जाएगा।

*****

अनुबंध

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के इरादतन चूककर्ताओं का सकल अग्रिम

राशि करोड़ रुपए में

बैंक	सकल अग्रि
इलाहाबाद बैंक	4,445
आंध्राबैंक	4,733
बैंक ऑफ बड़ौदा	9,738
बैंक ऑफ इंडिया	9,890
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,904
केनरा बैंक	4,964
सेंट्रलबैंक ऑफ इंडिया	6,163
कॉर्पोरेशनबैंक	2,803
देना बैंक	2,171
इंडियन बैंक	1,696
इंडियन ओवरसीज बैंक	5,129
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5,659
पंजाब एंड सिंध बैंक	286
पंजाब नैशनल बैंक	25,090
भारतीय स्टेट बैंक	46,158
सिंडिकेट बैंक	1,282
यूको बैंक	4,897
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,695
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,836
विजया बैंक	6,144

स्रोतः बैंक

*****